यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास चम्पावत के माह **06/2016**से **11/2017** तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी,**AAO,**श्री एस॰एस॰ राणा **AAO,** एव श्री वजय कुमार वरि0ले0प0. द्वारा दिनांक **07/12/2017** से **19/12/2017**तक श्री एस0के0 जौहरी, लेखापरीक्षा अ धकारी के आं शक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. परिचयात्मक : इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार गर्ग **AAO,** श्री अश्विनी कुमार पांडेय **AAO,** तथा श्री दिनेश कुमार नरवरिया, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **10/06/2016** से **18/06/2016** तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **11/2014** से **05/2016** तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **06/2016** से **11/2017** तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ...आगंबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से लाभा र्थयो को 1-अनुपूरक पोषाहार 2-स्वास्थ्य परीक्षण 3-संदर्भ सेवाए 4-प्रतिरक्षण टीकाकरन 5-पोषण एवं स्वास्थ्य शक्षा 6-स्कूल पूर्व शक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शक्षा) । समस्त चम्पावत जनपद।

(ii) (अ**)** वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू॰ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य	बचत
	स्थापना `	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन`	व्यय`	**(+)`**	**(-)** `
2014-15	0.00	0.00	735.06	713.89	803.34	778.26	0.00	46.25
2015-16	0.00	0.00	69.51	53.25	130.42	130.42	0.00	16.26

2016-17	0.00	0.00	17.95	11.27	142.66	142.28	0.00	7.06
2017-18 11/2017 तक	0.00	0.00	21.05	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष`	प्राप्त `	व्यय	अ धक्य**(+)**	बचत**(-)**
2014-15	102-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	392.21	388.01	0.00	4.2
	104-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	1.22	1.12	0.00	0.10
	107- कशोरी शक्ति योजना	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00
	108-प्र शक्षण के दौरान राशनिंग	0.00	2.74	2.61	0.00	0.13
	110-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	4.28	4.27	0.00	0.01
	114-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	4.16	3.71	0.00	0.45
	124-अवसंरचना	0.00	19.71	19.71	0.00	0.00
	128-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित	0.00	18.21	14.76	0.00	3.45
	203-स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान	0.00	26.05	24.75	0.00	1.31
2015-16	102-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	22.39	20.39	0.00	2.00
	104-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	2.60	0.18	0.00	2.42
	107- कशोरी शक्ति योजना	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
	108-प्र शक्षण के दौरान राशनिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	4.13	4.05	0.00	0.08
	114-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	4.65	4.25	0.00	0.40
	124-अवसंरचना	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00

	128-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित	0.00	12.50	5.20	0.00	7.30
	203-स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान	0.00	5.50	5.47	0.00	0.03
2016-17	104-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	7.75	3.98	0.00	3.77
	107- कशोरी शक्ति योजना	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00
	108-प्र शक्षण के दौरान राशनिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00
	124-अवसंरचना	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	128-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित	0.00	3.59	3.30	0.00	0.29
	203-स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18 (11/2017)	102-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15
	104-आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना	0.00	9.46	2.75	0.00	6.71
	107- कशोरी शक्ति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128-केंद्र द्वारा पुरोनिधानित	0.00	7.00	3.39	0.00	3.61
	203-स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य एवं केंद्र) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई केंद्र से धनरा श प्राप्त करता है तथा इकाई (अ) श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. निदेशक. 3. डी0पी0ओ

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा मेंजिला कार्यक्रम अ धकारीबाल वकास चम्पावत को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारीबाल वकास चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। नन्दा देवी योजना, वृद्ध महिला पोषण, टीएचआर/कूक्ड फ़ूड, RUTF, कशोरी शक्ति योजना का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय रा श तथा कार्य की वास्त वक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 'ब'

प्रस्तर-1: वर्ष 2016-17 में रू. 29,**66,875**/- की धनरा श के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न कया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक: 460/XVII(4)/2016-129/06TC, दिनाँक 10.02.2016 तथा आई. सी. डी. एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांक: C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनाँक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्दे शत कया गया था ।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों को हस्तांतरित धनरा श के व्यय होने के पश्चात सम्बन्धित मुख्य से वका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संक लत करते हुए बाल वकास परियोजना अ धकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय को प्रे षत कया जाना चाहिए ।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, चम्पावत के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में आवंटित धनरा श रू. 30,00,000=00 के सापेक्ष रू. 29,66,875=00 का व्यय तथा रू. 33125=00 का समर्पण कया गया है । इकाई द्वारा उक्त धनरा श (रू. 29,66,875=00) अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों के बैंक खातों में e-transfer/payment के माध्यम से ट्रेजरी वाउचर संख्या B22350006,B22350010, B22350011, B22350012,B22350034, B22350035, B22350037, B22350038 द्वारा हस्तांतरित की गई है जिसके उपभोग प्रमाणपत्र अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों के संबन्धित सुपरवाइजर से प्राप्त कए जाने अपे क्षत थे परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ (दिसम्बर 2017) तक उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कए गए है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका क अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त धनरा श का उसी मद में व्यय कया गया है जिस मद हेतु धनरा श आवंटित की गई थी तथा हस्तांतरित धनरा श का पूर्ण उपभोग कया जा चुका है अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क उपभोग प्रमाणपत्र अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रे षत कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त क पुष्टि करता है । अतः वर्ष 2016-17 में रू. 29,66,875/- की धनरा श के उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत कुपो षत बच्चों हेतु **RUTF** का सही ढंग से क्रयान्वयन न कर योजना हेतु वभागीय उदासीनता के कारण आवंटित धनरा श रु. 46200/- को बचत खाते में अवरोधन करना।

शासनादेश सं. 81/XVII(4)2017-एस(126)/2016 दिनांक 12.01.2017 के अंतर्गत राज्य के समस्त कुपो षत बच्चों हेतु RUTF (Ready to use therapeutic food) के क्रयान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी कये गये, जिसके अनुसार अति कुपो षत बच्चों को ऊर्जा नामक खाद्यान सामग्री को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वतरित कया जाना था तथा यह पूर्व में आंवटित कए जाने वाले THR से अतिरिक्त होगा।

प्रथम चरण में यह सामग्री अतिकुपो षत बच्चों को खलायी जानी थी। 06 माह से 01 वर्ष के बच्चों को दिन में 02 बार 50 ग्राम प्रतिदिन खलायी जानी थी। माह में 25 दिवसों हेतु 01 बच्चों को 1.250 कलोग्राम की आवश्यकता थी। जिस पर व्यय रु. 136.25 होना था। इसके अलावा प्लास्टिक के डब्बे व चम्मच सहित व्यय रु. 251.25 होगा।

इसी प्रकार 01 वर्ष से 05 वर्ष के बच्चों को दिन में दो बार 100 ग्राम प्रतिदिन खलायी जायेगी। प्रतिमाह में 25 दिवसों हेतु 01 बच्चे को 2.50 कलोग्राम की आवश्यकता होगी, जिस पर व्यय रु. 387.50 होगा। अतिकुपो षत बच्चों को सामान्य श्रेणी में आने के बाद दो माह तक ऊर्जा को खलाया जाना था। इस प्रकार कुल 3 माह ऊर्जा खाद्यान खलाया जाना था। जनपद में ऊर्जा तैयार करने हेतु स्वयं सहायता समूह का चयन जिला स्तरीय स मति द्वारा कया जाना था। योजना हेतु निदेशालय आई.सी.डी.एस., उत्तराखण्ड के पत्र सं. - सी-239/बजट-4073/2016-17 दिनांक 17.01.17 द्वारा जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास चम्पावत को RUTF योजना के क्रयान्वयन हेतु रु. 46200/- की धनरा श आवंटित की गयी थी।

इकाई के RUTF से संबं धत अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क इकाई द्वारा जनपद में 06 माह से 05 वर्ष तक के 19 अतिकुपो षत बच्चों को चन्हित कया गया था तथा माह 05/16 से 11/17 (सम्प्रेक्षा ति थ दिसम्बर 2017 तक) कोई भी धनरा श ऊर्जा खाद्य सामग्री प्रदान करने हेतु व्यय नहीं की गयी। RUTF के निर्देशानुसार एक भी बच्चे को एक बार ऊर्जा खाद्य सामग्री प्रदान करने के उपरान्त आगामी 03 माह में पुनः ऊर्जा खाद्य सामग्री प्रदान की जानी थी परन्तु उक्त सामग्री कसी भी बच्चों को प्रदान नहीं की गई जो शासनादेश का उल्लंघन था।

अ भलेखों में यह भी पाया गया क एक माह के पश्चात ऊर्जा सामग्री प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी शून्य थी। योजना के क्रयान्वयन हेतु आवंटित धनरा श को इकाई द्वारा जिला कार्यक्रम अ धकारी के बचत खाते में रख अवरूद्ध की गई। जब क उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं.- 875(1)/ वत्त अनुभाग-3 /2003-04 दिनांक 30.04.2003 एवं पत्र सं.-99 /XXVII(14)/2009 दिनांक 03.09.2009 के प्रावधानों के अनुसार योजना की धनरा श बचत खाते में रखना नियमानुसार नहीं है। उक्त धनरा श को वत्त वभाग से अनुमति लेकर PLA में रखा जा सकता है। इकाई स्तर पर PLA न होने पर धनरा श को CDO /जिला धकारी के PLA में रखा जा सकता था। परन्तु इकाई द्वारा नियमों का पालन न कर धनरा श को DPO के बचत खाते में अवरूद्ध रखा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर यह इकाई द्वारा अवगत कराया गया क धनरा श का समर्पण या भ वष्य में जिला स्तर पर मौजूद PLA खातों में धनरा श को हस्तांतरित कया जायेगा। प्र क्रया अपनायी जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है। क्यों क मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना का संचालन एवं क्रयान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ एवं वभागीय उदासीनता के कारण रु. 46200/- की धनरा श इकाई स्तर पर समर्पण न करने के कारण अवरूद्ध पड़ी रही। प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर**-3:** वभागीय उदासीनता के कारण नंदा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 2261 आवेदकों को योजना के लाभ से वं चत रखने के परिणामस्वरूप रु. 15000/- प्रति की दर से रु. 339.15 लाख का भुगतान कया जाना लंबित रहना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयों,जिनके परिवार मे 01जनवरी 2009के बाद दो जी वत बा लकाओ ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है । योजना के अंतर्गत आ र्थक सहायता के रूप मे रु 15000/- की धनरा श तीन कस्तों मे प्रदान कए जाने का प्रावधान है।

ज़िला कार्यक्रम अ धकारी, चम्पावत के योजना संबंधी अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया क इकाई द्वारा दिसम्बर 2016 तक प्राप्त 1723 आवेदन पत्रों में से लेखापरीक्षा ति थ (दिसम्बर 2017) तक मात्र 733 आवेदको को ही योजना का लाभ प्रदान कया गया तथा 990 पात्र आवेदक लेखापरीक्षा ति थ (दिसम्बर 2017) तक योजना के लाभ से वं चत थे । इसी प्रकार दिसम्बर 2016 के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त 1271 नवीन लाभा र्थयों को भी योजना का लाभ दिया जाना शेष था। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इन सभी पात्र आवेदको को योजना का लाभ दिया जाना चाहिए था, परंतु इन कुल 2994(1723+1271) आवेदको मे से मात्र 733 आवेदको को ही योजना का लाभ प्रदान कया गया जब क शेष 2261 आवेदको को लेखापरीक्षा ति थ (दिसम्बर 2017) तक योजना के लाभ से वं चत रखा गया था जो योजना के दिशानिर्देशों के वपरीत था जिससे वभाग पर रु 339.15 लाख (2261 आवेदको को रु 15000 प्रति) का भुगतान कया जाना लंबित था। उल्लेखनीय है क इन 2261 आवेदको को लाभान्वित करने हेतु आवश्यक धनरा श की इकाई के पास कोई व्यवस्था नहीं थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क बजट प्राप्त न होने के कारण लाभा र्थयों को लाभान्वित नहीं कया जा सका तथा योजना का लाभ देने हेतु निदेशालय से बजट की मांग की गई है ।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है। अतः वभागीय उदासीनता के कारण योजना के अंतर्गत 2261 पात्र आवेदको को योजना के लाभ से वं चत रखने के परिणामस्वरूप रु 339.15 लाख का भुगतान कया जाना लंबित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-**II**'अ'	भाग-**II**'ब' प्रस्तरसंख्या
33/2016-17	शून्य	01, 2, 3, 4.
128/2014-15	शून्य	01.

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वगत लेखा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा तैयार की जा रही थी, जिसे उच्च अ धकारियों की संस्तुति के पश्चात लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास चम्पावत तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं**0**	नाम	पदनाम
(i)	सुश्री शैली प्रजापति	24.07.2012 से 22.11.2016
(ii)	श्री सुरेश बैनी	22.11.2016 से 08.01.2017
(iii)	श्रीमति का मनी गुप्ता	09.01.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास चम्पावत को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र